

गोमतीनगर में होगा ओडीओपी का पांच मंजिला प्रदर्शनी केंद्र

निर्णय

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

हर जिले की खास उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने की प्रदेश सरकार की योजना "एक जिला एक उत्पाद" (ओडीओपी) का पांच मंजिला प्रदर्शनी केंद्र गोमतीनगर में विकसित किया जाएगा। इस भवन में कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के लिए सभागार भी होगा। गुरुवार को यूपी हैण्डिक्राफ्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

गोमती नगर के विराज खंड में 10 करोड़ रुपये की लागत से यह ओपीओपी केंद्र विकसित किया जाएगा। उ.प्र. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम के 600 वर्गमीटर के भूखंड पर यह भवन बनेगा। गुरुवार को लोक भवन में अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं

ओडीओपी उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रस्ताव मंजूर

यह भी निर्णय लिया गया कि गंगोत्री शो-रूम की आय बढ़ाने के लिए वहां रखे पुराने स्टॉक की बिक्री पर ग्राहकों को दाम में छूट दी जाएगी। ओडीओपी उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ओडीओपी उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मूल्य निर्धारण किया जाएगा। विशेष अवसरों पर ओडीओपी उत्पादों के दामों में छूट

भी दी जाएगी। त्योहारों एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर छूट मिलने से ग्राहकों का रुझान इन उत्पादों की तरफ अधिक होगा। बैठक में यूपी हैण्डिक्राफ्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कम्पनी सचिव सीपी शुक्ला, विशेष कार्याधिकारी ओडीओपी विवेक वाष्ण्य, उप अधिशासी अधिकारी एसआर सहाय आदि उपस्थित थे।

पांच दिवसीय सिल्क एक्सपो आज से

गोमती नगर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम परिसर में 29 जनवरी शुक्रवार से पांच दिवसीय सिल्क एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पं. दीनदयाल उपाध्याय रेशम पुरस्कार का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के रेशम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह उपस्थित रहेंगे।

मध्यम उद्यम डा. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कोलकाता तथा गुजरात के केवड़िया में निगम के प्रदर्शन कक्षों के सुचारू

संचालन के लिए आउटसोर्स के माध्यम से एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति भी दी गई। निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए।